समक्ष

एस.एस. कांग माननीय न्यायमूर्ति

निरंजन सिंह और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

अमर सिंह और अन्य, -प्रतिवादी।

1982 का नागरिक संशोधन क्रमांक 3150।

19 दिसंबर 1983।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम (1894 का 1) - धारा 30 और 53 - सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) - आदेश 1 नियम 10 - व्यक्ति धारा 9 के तहत कोई दावा दायर नहीं कर रहा है और न ही धारा 11 के तहत मुआवजे के बंटवारे के संबंध में जांच में भाग ले रहा है। कलेक्टर के समक्ष अधिनियम - अधिनियम की धारा 30 के तहत कलेक्टर द्वारा जिला न्यायाधीश को दिया गया संदर्भ - उपरोक्त व्यक्ति एक पक्ष के रूप में शामिल होने के लिए संहिता के आदेश 1 नियम 10 के तहत आवेदन कर रहा है - ऐसा आवेदन - क्या सक्षम है।

ये निर्धारित किया गया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 की धारा 30 के तहत कलेक्टर द्वारा किए गए बचाव पर अदालत के समक्ष कार्यवाही एक विशेष प्रकृति की है। न्यायालय अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के बंटवारे से संबंधित विवाद

का संज्ञान केवल एक संदर्भ पर ही ले सकता है और जांच कुछ पक्षों के बीच विवाद तक ही सीमित है। न्यायालय दूसरों को पक्षकार बनाकर अपना दायरा नहीं बढ़ा सकता। वे व्यक्ति जो कलेक्टर के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे और विवादग्रस्त भूमि के मुआवजे के लिए कोई दावा नहीं किया था, और कलेक्टर के फैसले में मुआवजे के बंटवारे के संबंध में कोई शिकायत नहीं की थी, संदर्भ पर निर्णय देने वाले न्यायालय के समक्ष मामले में शामिल होने के लिए आगे नहीं आ सकते। ऐसे में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 1 नियम 10 के तहत आवेदन पोषणीय नहीं है।

(पैरा 4)

धारा 115 सी.पी.सी. के तहत याचिका श्री आर. सी. जैन, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अम्बाला के न्यायालय के दिनांक 17 नवंबर, 1982 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए, जिसमें आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील एम. एल. शर्मा।

1. एस. सैनी, वकील, नंबर 1 के लिए।

8. एल. बिश्नोई, एडिशनल ए.जी. (हाई.) नंबर 3 के लिए

नंबर 2 के लिए कोई नहीं।

निर्णय

सुखदेव सिंह कंग, माननीय न्यायमूर्ति

(1) क्या कोई व्यक्ति, जिसने भूमि अधिग्रहण अधिनियम (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 9 के तहत जारी नोटिस के जवाब में कोई दावा दायर नहीं किया था और भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा की गई जांच में भाग नहीं लिया था अधिनियम की धारा 11 के तहत (संक्षेप में 'कलेक्टर') और कलेक्टर के समक्ष मुआवजे के बंटवारे के लिए कोई विवाद नहीं उठाया है, धारा 30 के तहत कलेक्टर द्वारा किए गए संदर्भ पर न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही में, जिस व्यक्ति के आवेदन का संदर्भ दिया गया है, उसकी इच्छा के विरुद्ध एक पक्ष के रूप में शामिल किया जा सकता है। यह नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत इस पुनरीक्षण याचिका में उठाया गया संक्षिप्त लेकिन सार्थक प्रश्न है।

(2) प्रासंगिक तथ्यों का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण फोरेंसिक विवाद की रूपरेखा को उजागर करने में मदद करेगा:

इस पुनरीक्षण याचिका के प्रतिवादी नंबर 1, अमर सिंह ने, अभयपुर गांव में स्थित विवादित 20 कनाल भूमि के स्वामित्व और धारा 11 के तहत कलेक्टर द्वारा निर्धारित मुआवजे के बंटवारे के संबंध में एक आवेदन दायर किया। अधिनियम की धारा 30 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर ने मुआवजे के बंटवारे को लेकर अमर सिंह और ग्राम पंचायत के बीच विवाद को निर्णय के लिए न्यायालय में भेज दिया। मामले को निपटारे के लिए

विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अंबाला को सौंपा गया था। याचिकाकर्ताओं ने नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के तहत आवेदन किया कि आवेदकों के उत्तरदाताओं में से किसी एक को अधिनियम की धारा 30 के तहत संदर्भ में न्यायालय में पक्षकार बनाए जाने/जोड़ा जाए। अमर सिंह ने इस अर्जी का विरोध किया। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने माना कि रिकॉर्ड पर रखे गए अधिनियम की धारा 19 के तहत बयान से संकेत मिलता है कि अमर सिंह की भूमि में रुचि थी और प्रथम दृष्टया गांव का शामिलात देह पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (विनियमन) अधिनियम के तहत उस गांव की ग्राम पंचायत में निहित है। ग्राम पंचायत पहले से ही कार्यवाही में एक पक्ष थी। कलेक्टर के समक्ष आवेदक पक्षकार नहीं थे। **बसलिंगप्पा गौड़ा और अन्य बनाम नागम्मा और अन्य**[1] और **नगर पालिका नलगोंडा बनाम हकीम मोहिउद्दीन और अन्य**[2] में दो निर्णयों पर भरोसा करते हुए उन्होंने यह भी माना कि सिविल न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भ में पक्षकार बनाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, जो कलेक्टर के समक्ष पक्षकार नहीं था। उन्होंने याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल अर्जी खारिज कर दी। वे अब इस न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए आये हैं।

(3) उठाए गए प्रश्न का उत्तर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान के परिप्रेक्ष्य पर तय किया जाना है। अधिनियम की धारा 9 के तहत कलेक्टर को भूमि पर कब्ज़ा

---

[1] ए.आई.आर.1969 मैसूर 313.

[2] ए.आई.आर.1964 आंध्र प्रदेश 305.

करने की सरकार की मंशा के बारे में एक सार्वजनिक सूचना देनी होगी और इच्छुक व्यक्तियों को अपने दावे दायर करने के लिए आमंत्रित करना होगा और उस समय व्यक्तिगत रूप से या एक एजेंट के माध्यम से कलेक्टर के सामने पेश होना होगा। उसमें उल्लिखित स्थान और भूमि में उनके संबंधित हित और मुआवजे के उनके दावों का विवरण बताएं। अधिनियम की धारा 11 के तहत, कलेक्टर को जांच करने और भूमि के क्षेत्र के संबंध में एक पुरस्कार देने, भूमि के लिए मुआवजे और उन व्यक्तियों के बीच मुआवजे का बंटवारा करने का आदेश दिया गया है, जिनके दावे की भूमि में रुचि रखते हैं या मानते हैं। उन्हें जानकारी थी कि वे उनके सामने पेश हुए हैं या नहीं। अधिनियम की धारा 12 के तहत ऐसा पुरस्कार, कलेक्टर के कार्यालय में दायर किया जाएगा और कलेक्टर और इच्छुक व्यक्तियों के बीच अंतिम और निर्णायक साक्ष्य होगा। अधिनियम का भाग IV 'मुआवजे के बंटवारे' की प्रक्रिया निर्धारित करता है। अधिनियम की धारा 30 इस प्रकार है:- .

धारा 30:

विभाजन के बारे में विवाद

जब मुआवज़े की राशि धारा 11 के तहत तय हो गई है, यदि बंटवारे के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, वही या उसका कोई भाग का, या उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें वह या उसका कोई भाग देय है; कलेक्टर ऐसे विवाद को न्यायालय के निर्णय के लिए संदर्भित कर सकता है।

अधिनियम की धारा 53 में कहा गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान, जहां तक वे अधिनियम के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत नहीं हैं, अधिनियम के तहत न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियों पर लागू होंगे। इसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

धारा 53:

न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू होने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता.

जहाँ तक वे इस अधिनियम में निहित किसी भी चीज़ से असंगत हो सकते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान इस अधिनियम के तहत न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

याचिकाकर्ताओं ने इस भूमि पर कोई दावा दायर नहीं किया। वे अधिनियम की धारा 11 के तहत जांच के दौरान कलेक्टर के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। याचिकाकर्ताओं ने मुआवजे के बंटवारे के लिए कलेक्टर के समक्ष धारा 30 के तहत कोई आवेदन नहीं किया। अमर सिंह द्वारा एक आवेदन दिया गया था और उन्होंने तर्क दिया था कि विवादित भूमि के मुआवजे के बंटवारे को लेकर उनके और ग्राम पंचायत के बीच विवाद था। यह संदर्भ अमर सिंह के कहने पर दिया गया था जिन्होंने ग्राम पंचायत को एक पक्ष बनाया था।

(4) धारा 30 के तहत कलेक्टर द्वारा दिए गए संदर्भ पर न्यायालय के समक्ष कार्यवाही एक विशेष प्रकृति की होती है। न्यायालय केवल एक संदर्भ पर ही

अर्जित भूमि के मुआवजे के बंटवारे से संबंधित विवाद का संज्ञान ले सकता है और जांच कुछ पक्षों के बीच विवाद तक ही सीमित है। न्यायालय दूसरों को पक्षकार बनाकर अपना दायरा नहीं बढ़ा सकता। जो व्यक्ति कलेक्टर के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे और विवादग्रस्त भूमि के मुआवजे के लिए कोई दावा नहीं किया था, और कलेक्टर के फैसले में मुआवजे के बंटवारे के संबंध में कोई शिकायत नहीं की थी, वे न्यायालय के समक्ष मामले में शामिल होने के लिए आगे नहीं आ सकते हैं। संदर्भ पर निर्णय देना।; **नगर पालिका नलगोंडा बनाम हकीम मोहिउद्दीन और अन्य** में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ (सुप्रा), हैदराबाद भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 25 की व्याख्या करते हुए जो अधिनियम की धारा 30 से मेल खाता है, इस प्रकार निर्धारित किया है: -

> "धारा 25 (भारतीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 30 के अनुरूप) के तहत न्यायालय में भेजे गए एक बंटवारे के मामले में, एक व्यक्ति जो तालुकदार के सामने पेश नहीं हुआ था और जिसका नाम संदर्भ में उल्लिखित नहीं है, उसे एक के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता है।" अदालत के समक्ष कार्यवाही में पक्षकार और न ही वह उस संदर्भ पर मुआवजे के अपने दावे का आग्रह कर सकता है।"

इसी तरह का दृष्टिकोण **मोहम्मद इब्राहिम साहब और अन्य बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी, भीमावरम**[3] और **मंजूर अहमद और अन्य बनाम राजलक्ष्मी दस्सी और**

[3] ए.आई.आर 1958 ए.पी. 226.

अन्य[4] में लिया गया था। वास्तव में यह दृष्टिकोण कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबे समय से कायम है। **बसलिंगप्पा गौड़ा और अन्य बनाम नागम्मा और अन्य**[5] मामले में मैसूर उच्च न्यायालय ने भी यही विचार व्यक्त किया है कि कोई अदालत ऐसे व्यक्ति को पक्षकार नहीं बना सकती, जो भूमि अधिग्रहण अधिकारी के सामने कभी पेश नहीं हुआ और उसके सामने दावेदार के रूप में सामने नहीं आया। न्यायालय का क्षेत्राधिकार अधिनियम की धारा 30 के तहत कलेक्टर द्वारा दिए गए संदर्भ से प्राप्त होता है। जिस विवाद के संबंध में धारा 30 के तहत एक संदर्भ दिया गया है, उसके केवल विवादकर्ता ही न्यायालय के समक्ष पक्षकार हैं। बंटवारे से संबंधित विवाद में कलेक्टर के पास अधिग्रहीत भूमि के स्वामित्व की जांच करने और उस पर निर्णय देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। ऐसा केवल सिविल न्यायालय ही कर सकता था। सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान धारा 30 के तहत संदर्भ पर केवल उस सीमा तक लागू होंगे जब तक वे अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न हों। अदालत के पास अतिरिक्त पक्षों को रिकॉर्ड पर लाने का कोई सामान्य क्षेत्राधिकार नहीं है जैसा कि एक सिविल अदालत एक सामान्य सिविल मुकदमे के मामले में कर सकती है।

तेजधारी और अन्य बनाम बाउल और अन्य[6] मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के के.सी. अग्रवाल, न्यायमूर्ति ने एक फैसले में भी यही विचार रखा है। उन्होंने

---

[4] ए.आई.आर. 1956 कलकत्ता 263.

[5] ए.आई.आर. 1969 मैसूर 313.

[6] ए.आई.आर. 1981 इलाहाबाद 47.

माना है कि धारा 30 के तहत न्यायालय को प्रदत्त शक्ति केवल कलेक्टर द्वारा संदर्भित मामले के संबंध में है। यह मूल क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय नहीं है जो पक्षों के बीच विवाद पर स्वयं विचार करने का हकदार है। इसका अधिकार क्षेत्र संदर्भित मामले तक ही सीमित है। अभियोग के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति केवल उस पक्ष के माध्यम से अपने अधिकार का दावा कर सकता है, जिसके अधिकार का उल्लेख कलेक्टर द्वारा न्यायालय को निर्णय हेतु किया गया था। **माउंट सकलबासो कुएर बनाम बृजेंद्र सिंह और अन्य**[7] में पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह आयोजित किया गया है:

> "धारा 30 कलेक्टर द्वारा अदालत में भेजे जाने वाले दो प्रकार के मामलों पर विचार करता है, अर्थात् मुआवजे के बंटवारे के संबंध में विवाद और जिस व्यक्ति को मुआवजा देय है। यदि विवाद मुआवजे के बंटवारे के बारे में है, तो जो व्यक्ति पुरस्कार देने की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर के सामने नहीं आए हैं, उन्हें अदालत के सामने आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि अदालत में भेजा गया विवाद बंटवारे मुआवज़ा राशि का तक ही सीमित है। लेकिन, यदि संदर्भ इस संबंध में है कि मुआवजा राशि किस व्यक्ति को देय है, तो अदालत के निर्णय का दायरा यह होगा कि वे कौन व्यक्ति हैं जो मुआवजा प्राप्त करने के हकदार हैं। ऐसे मामले में, भले ही

[7] ए.आई.आर. 1967 पटना 243.

कोई व्यक्ति पुरस्कार देने की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर के समक्ष उपस्थित न हुआ हो, यदि वह व्यक्ति अधिनियम के तहत परिभाषा के अर्थ के भीतर 'इच्छुक व्यक्ति' है, तो अदालत ऐसे व्यक्ति को शामिल कर सकती है। मुआवजे की राशि किसे देय है, इसका संदर्भ तय करने में एक पक्ष। अधिनियम की धारा 53 के तहत, सि.पी.सी. के आदेश 1 नियम 10 के तहत प्रावधान धारा 30 के तहत संदर्भ के मामले में स्पष्ट रूप से अदालत के समक्ष आकर्षित होते हैं जब संदर्भ के तहत विवाद की प्रकृति नहीं बदलती है।

इस दृष्टिकोण को न्यायमूर्ति अग्रवाल ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने स्वीकार ना किया कि दोनों प्रकार के मामलों में अंतर है। ऐसा लगता है कि माउंट सकलबासो कुएर के मामले (सुप्रा) का फैसला करने वाली बेंच के पक्षकारों द्वारा यह नहीं बताया गया कि अदालत को केवल कलेक्टर द्वारा दिए गए संदर्भ पर विभाजन निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र मिलता है। मैं कलकत्ता, आंध्र प्रदेश, मैसूर और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित प्रमुख दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक सहमत हूं। अपर जिला न्यायाधीश का आदेश कानून के अनुरूप है।

(5) परिणामस्वरूप, मुझे इस पुनरीक्षण याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली और इसे खारिज कर दिया गया लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आदित्य जैन

सिविल जज (जूनियर डिविजन) व प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

पानीपत, हरियाणा।